कुलसचिव

संख्या–कु0स0/310 /2Aसाप्र–I(रा0से0यो0)/2015

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ,
वाराणसी–2
दिनांक– 07 जुलाई, 2015

सेवा में

विज्ञापन मैनेजर
दैनिक समाचार–पत्र **"हिन्दुस्तान"** एवं **"दैनिक जागरण"**
वाराणसी।

महोदय,

कृपया अधोलिखित विज्ञापन को अपने दैनिक समाचार–पत्र में सम्मुखांकित तिथि को निर्दिष्ट संस्करण में **60 वर्ग से0मी0 स्थान में** प्रकाशित कर उन संस्करण की दो–दो प्रतियाँ कार्यालय के उपयोग हेतु और बिल की दो प्रतियों (रेट लिस्ट सहित) के साथ संलग्न कर भुगतान हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(1) **"हिन्दुस्तान"** : **"वाराणसी संस्करण"** में दिनांक 09–07–2015

(2) **"दैनिक जागरण"** : **"वाराणसी संस्करण"** में दिनांक 10–07–2015

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ,वाराणसी

उत्तर प्रदेश अधिनियमित राज्य विश्वविद्यालय

विज्ञापन संख्या–1/2015

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी में अंशकालिक कार्यक्रम समन्वयक–राष्ट्रीय सेवा योजना के पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित अर्हता सम्पन्न विश्वविद्यालय/सम्बद्ध महाविद्यालय के अध्यापकों से आवेदन–पत्र आमंत्रित किया जाता है। इच्छुक अध्यापक सुसंगत प्रमाण–पत्र सहित अपना संक्षिप्त जीवन–वृत्त (बायोडाटा) एक आवेदन–पत्र के साथ उपस्थित होकर अथवा रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट डाक द्वारा प्रेषित करें जो अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांक 03–08–2015 तक प्राप्त हो जाय। अन्य विस्तृत विवरण एवं अर्हताएं विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.mgkvp.ac.in पर उपलब्ध है।

कुलसचिव

कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मा0कुलपति जी, सूचनार्थ।
2. वित्त अधिकारी।
3. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/निदेशक।
4. कुलानुशासक।
5. पुस्तकालयाध्यक्ष–केन्द्रीय पुस्तकालय/मुख्य गृहपति/गृहस्वामिनी–छात्रावास।
6. उपकुलसचिव/सहायक कुलसचिव।
7. समस्त प्राचार्य–सम्बद्ध महाविद्यालय को वेबसाइट के माध्यम से सूचनार्थ प्रेषित।
8. श्री विनोद कुमार, प्रभारी–कम्प्यूटर सेण्टर – उपर्युक्त विज्ञापन एवं अन्य विस्तृत विवरण विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध करायें।

कुलसचिव

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी

अंशकालिक कार्यक्रम समन्वयक–राष्ट्रीय सेवा योजना के पद पर नियुक्ति हेतु अर्हताएँ

भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत कार्यक्रम समन्वयक के पद के लिये निम्नलिखित अर्हताएं निर्धारित की गयी हैं :–

(क) आवेदक को इस विश्वविद्यालय या सम्बद्ध कालेज में रीडर/प्रवक्ता (चयन वेतनमान), प्रवक्ता (वरिष्ठ वेतनमान) पद पर कार्यरत होना चाहिए।

(ख) इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कालेजों के प्रधानाचार्य जिन्हें राष्ट्रीय सेवा योजना की पृष्ठभूमि तथा रीडर का दर्जा प्राप्त हो, को भी समन्वयक की नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकता है।

(ग) ऐसे अध्यापक जो राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत कार्यक्रम अधिकारी के पद पर न्यूनतम् तीन वर्ष तक रहे हों।

(घ) आवेदक को प्रशिक्षण तथा अभिविन्यास केन्द्र/प्रशिक्षण, अभिविन्यास तथा अनुसंधान केन्द्र से राष्ट्रीय सेवा योजना पर अभिविन्यास किया होना चाहिए।

(ङ.) कार्यक्रम समन्वयक के चयन के समय आवेदक को पचास वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए।

कुलसचिव